



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : 07752 - 240712, 240752

www.pssou.ac.in Email - registrar@pssou.ac.in

क्र. 204/RSD/19

बिलासपुर, दिनांक 21/1/2019

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय के माननीय कार्यपरिषद् की 79 वीं (आपात) बैठक दिनांक 10/01/19 में लिए गये निर्णय के तारतम्य में अधिसूचित किया जाता है कि जिन छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि समाप्त हो चुकी है और वे अपना पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाये हैं, उन्हें **Re- Admission** कराकर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। ऐसे छात्रों की शुल्क संरचना का विवरण निम्नानुसार है -

Re-Admission Fee

(एक वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों के लिये)

Sr. No.	Course	Re-Adm. Fee	Course Fee	Total
1	B.A.	1000	4300	5300
2	B.Sc./B	1000	6200	7200
3	B.Sc./M	1000	5700	6700
4	B.Com.	1000	5450	6450
5	B.Ed.	1000	27500	28500
6	B.B.A.	1000	6700	7700
7	M.A.	1000	7200	8200
8	M.A. Education	1000	7700	8700
9	M.Com	1000	7700	8700
10	M.S.W.	1000	10700	11700
11	M.A./M.Sc./Maths	1000	7700	8700
12	D.El.Ed.	1000	10500	11500


Re-Admission Fee (ATKT) (समस्त पाठ्यक्रमों के लिये)

1. पुनः प्रवेश ATKT छात्रों के लिए शुल्क - 1000
2. एक विषय ATKT होने पर शुल्क - 1000 (प्रति कक्षा)
3. दो या दो से अधिक विषय में ATKT होने पर शुल्क - 1500 (प्रति कक्षा)
4. प्रयोगिक ATKT एक से अधिक विषय होने पर शुल्क - 1500 (प्रति कक्षा)

पुनर्प्रवेश हेतु नियम व शर्तें :-

- 1 निम्नलिखित प्रकरणों में छात्रों को पुनर्प्रवेश की पात्रता होगी -
 - अ- जो पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित अधिकतम समयावधि में उत्तीर्ण न कर पाये हो।
 - ब- पूर्ण निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित प्रायोगिक में निर्धारित उपस्थिति पूर्ण नहीं करने वाले छात्र।
- 2 किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के कुल वर्षों में अपना पंजीयन न करने वाले छात्र तथा पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु निर्धारित फीस न जमा करने वाले छात्र पुनर्प्रवेश के पात्र होंगे बशर्ते वे खोये हुए वर्षों के लिए निर्धारित पूर्ण शुल्क जमा कर दें।
- 3 पुनर्प्रवेश के लिये जमा किए गये कोर्स शुल्क छः माह/एक वर्ष/दो वर्ष मात्र के लिये निम्नानुसार वैध होगा-
 - (अ) छः माह की अवधि वाले सभी सर्टीफिकेट प्रोग्राम के लिये 6 माह तक वैध।
 - (ब) एक वर्ष की अवधि वाले सभी पी जी डिप्लोमा/डिप्लोमा कार्यक्रम- एक वर्ष तक वैध।
 - (स) दो के न्यूनतम अवधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम- दो वर्ष तक वैध।
 - (द) तीन वर्ष न्यूनतम अवधि के स्नातक पाठ्यक्रम- दो वर्ष तक वैध।
- 4 ऊपर क्रमांक 3 पर दर्शायी गयी अतिरिक्त अवधि तब से शुरू होगी जब से प्रारम्भ में पंजीयन कराने वाले पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि पूर्ण हो जाये या इस प्रावधान के लागू होने की तिथि से, जो भी बाद में हो।
- 5 ऊपर के बिन्दु 3 में दर्शायी गयी अतिरिक्त अवधि के बाद विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 6 अपने पाठ्यक्रम में प्राप्त क्रेडिट अथवा सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया एसाइनमेन्ट तब तक वैध होगा जब तक कि पाठ्यक्रम एवं विधियाँ जो वर्तमान में प्रचलित हैं वैसे ही हो जैसा कि प्रारम्भ में सफलतापूर्वक पूर्ण किये गए हो।
- 7 पुनर्प्रवेश की स्थिति में पाठ्यसामग्री नहीं प्रदान की जायेगी। यदि पूर्व में प्रदान की गयी पाठन-सामग्री बदली जाती है तो बदली हुई पाठन-सामग्री को विद्यार्थी द्वारा खरीदना होगा।
- 8 विद्यार्थी को पुराने पाठ्यक्रमों में तब तक पुनः प्रवेश लेने की अनुमति होगी जब तक कि पुराने पाठ्यक्रम की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होगी।
- 9 जिन कार्यक्रमों में प्रायोगिक कार्य होगा, उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- 10 विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवेश एवं पुनर्प्रवेश की अन्य शर्तें एक समान रहेगी।

आदेशानुसार



कुलसचिव


बिलासपुर, दिनांक: 21/11/2019

पृ.क्र. 205/क्ष.से.प्र./2019

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. क्षेत्रीय समन्वयक बिलासपुर/रायपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग/जशपुर/कांकेर को सूचनार्थ।
5. विभाग प्रमुख कम्प्यूटर साइंस को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को वि.वि. के वेबसाइट में अपलोड करें।
6. प्रभारी ऑनलाईन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कार्यालय प्रति।




कुलसचिव